संख्या-17/2025/I/869685/2025/71-1099(099)/38/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 04 फरवरी, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में डायग्नोस्टिक सेंटर/हब के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2024-25/357, दिनांक 30.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में डायग्नोस्टिक सेंटर/हब के निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/डी0पी0आर0 लागत रू0 740.36 लाख की प्रति उपलब्ध कराते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्याकंन एवं औचित्य का परीक्षण कराते हुए कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में डायग्नोस्टिक सेंटर/हब के निर्माण कार्य हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 तथा जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर के मध्य दिनांक 21.06.2024 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर लिया गया है, जो सामान्यतः 31.03.2027 तक प्रभावी रहेगा। अनुबन्ध के अनुसार पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 द्वारा अपने सी0एस0आर0 फण्ड से उक्त कार्य हेतु वित्त पोषण किया जाना है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में डायग्नोस्टिक सेंटर/हब के निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत **रू0 722.37 लाख (रू0 सात करोड़ बाईस लाख सैंतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रायोजना का गठन कार्यालय मुख्य अभियन्ता अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक दिनांक 10.10.2023 एवं दिनांक 26.10.2023 द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर /कास्ट इंडेक्स का समावेश करते हुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमदें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है।

2. प्रायोजना प्रस्ताव के अनुसार जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में डायग्नोस्टिक सेंटर/हब के निर्माण कार्य हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 तथा जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर के मध्य दिनांक 21.06.2024 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर लिया गया है, जो सामान्यतः 31.03.2027 तक प्रभावी रहेगा। अनुबन्ध के अनुसार पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 द्वारा अपने सी0एस0आर0 फण्ड से उक्त कार्य हेतु वित्त पोषण किया जाना है।

3. प्रायोजना प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित डायग्नोस्टिक सेंटर/हब में रोगियों को एक ही छत के नीचे उपरोक्त सभी प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिससे रोगियों को भटकना न पडे तथा ससमय उनकी जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध हो सके।

4. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैशी/बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in India 2021 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

7. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आकलित की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22.03.2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरांत इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाए। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट, डी0जी0 सेट, लैन सिस्टम, सी0सी0 टी0वी0 कार्य एवं ई0पी0ए0 बी0एक्स सिस्टम की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

12. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

13. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की दुरावृत्ति नहीं हो रही है।

14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।